C.C.I.
भा.क.नि.

भारतीय कपास निगम लिमिटेड

THE COTTON CORPORATION OF INDIA LIMITED
(भारत सरकार का उपक्रम)

शाखा कार्यालय :कपास भवन: एस. सी. ओ. 7-11,न्यू हाउसिंग बोर्ड,बरनाला रोड,सिरसा-125055
दूरभाष : 01666-248601, 248602, 248605 फैक्स : (01666) 248604
Reg. Office: "Kapas Bhavan" Plot No, 3A, Sector-10, CBD Belapur, Navi Mumbai-400614
Administrative: Website:www.cotcorp.org.in Email:sirsa@cotcorp.com Ministry Website:www.ministryoftextiles.gov.in

सूचना का अधिकार

संख्याःभाकनि/सिरसा/विप.क्रय/जॉब वर्क/2019–20/ **दिनांक :19.10.2019**

टेण्डर नोटिस

कपास जॉब कार्य (Job Work for Kapas) हेतु:

निगम फसल वर्ष 2019–20 के लिए कपास के जॉब वर्क हेतु निम्न केन्द्रों से निविदा आमंत्रित करता है:–

सिरसा,कालांवाली,ऐलनाबाद,फतेहाबाद,भुना,आदमपुर,हांसी,उचाना,महम,बरवाला,चरखी दादरी,भिवानी।

निर्धारित निविदा फार्म शर्तों के साथ शाखा कार्यालय सिरसा से किसी भी कार्यदिवस व कार्यालयीन समय पर रू. 112/– डिमांड ड्राफ्ट द्वारा भुगतान कर दिनांक **23.10.2019** को सांय 05.30 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं. पूर्ण रूप से भरा हुआ फॉर्म सीलबंद लिफाफे में जिसके ऊपर **कपास जॉब वर्क कॉन्ट्रेक्ट कार्य निविदा 2019–20 व केन्द्र का नाम** स्पष्ट रूप से अंकित कर सहायक महाप्रबंधक के नाम उपरोक्त दर्शाये गये पते पर दिनांक **24.10.2019** को दोपहर 01.00 बजे तक पहुँचना आवश्यक है. उपरोक्त निर्धारित समय तक प्राप्त हुये निविदा उसी दिन दोपहर 03:00 बजे निविदाकर्त्ताओं की उपस्थिति में खोले जायेगें. निविदा संबंधी सूचना, टेण्डर फार्म एवं नियम व शर्तों की पूर्ण जानकारी हमारी वेबसाईट **(www.cotcorp.org.in)** एवं गवर्नमेन्ट वेबसाईट **(www.eprocure.gov.in)** पर उपलब्ध है. टेण्डर भरने वाले ठेकेदारों के पास *PF No./PAN No.* का होना आवश्यक है तथा *PF No./PAN No.* की फोटो प्रति टेण्डर फार्म के साथ लगाना अनिवार्य है. अगर फार्म वेबसाईट से लिया जाता है तो 112/– रूपये का डीडी फार्म के साथ एवं *EMD* राशि रू. 20,000/–की डी.डी. **"दि कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड"**, सिरसा के नाम से लगाना अनिवार्य होगा. किसी भी जॉब कॉन्ट्रेक्टर की पूर्व में निगम के पास जमा राशि को मान्य नहीं किया जाएगा.

निगम किसी भी टेण्डर को आंशिक/पूर्ण रुप से स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखता है।

सहायक महाप्रबंधक

Charges Rs. 112/-

Technical BID 01

भा.क.नि.
CCI

THE COTTON CORPORATION OF INDIA LTD.
BRANCH OFFICE : SIRSA

Technical BID for Job Work of Kapas
Cotton Season : 2019-2020

1. Name of Work contractor : _____

2. Father's Name : _____

3. Full postal address for : _____

   communication _____

   _____

4. Name of **CENTRE** for which Work Contract is submitted : _____

5. Details of EMD : D.D.No._____dt._____

   Amount_____Bank_____

6. Details of Employee Provident Fund Code No. (copy of certificate from Competent Authority to be enclosed) : _____

7. Registration No. Issued by the Jila Mathadi Hamal & Asanrakshit Kamgar Mandal and list of the Employee : _____

8. GST No. (if applicable – Copy to be enclosed) : _____

9. PAN No (Copy of PAN card to be enclosed) : _____

10. Permanent Address & Ph.No. : _____

    _____

    _____

Date : **Seal & Signature…….**

Tender No.	

Finanical BID 02

टेण्डर फार्म जारी करने का दिनांक :	अंतिम प्राप्ति दिनांक : दोपहर : ..... बजे तक	टेण्डर खोलने दिनांक : दोपहर : ..... बजे

वर्क कॉन्ट्रेक्टर के नाम	:	
केन्द्र का नाम	:	

कपास जॉब वर्क हेतु प्रस्तावित फॉर्म
वर्ष 2019-2020

क्रसं.	कार्य का विवरण	दर (रूपये में)
1	केन्द्र के भण्डारण स्थान पर ट्रक/ट्रालीसे अनलोडिंग (प्रतिक्विंटल)	
2	केन्द्र के भण्डारण स्थान पर ट्रक से लोडिंग (प्रतिक्विंटल)	

नोट :– टेण्डरकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई दर GST *के अतिरिक्त सभी कर सम्मिलित होंगे. (* Rate Excluding GST.*)*

ड्रॉफ्ट संख्या _____ दिनांक _____ रूपये _____ जो कि _____ बैंक का है, संलग्न है ।

मैं उपरोक्त दर तथा संलग्न नियम एवं शर्तों परे पूरे फसल वर्ष 2019-20 में निगम के दर्शाये गये सम्पूर्ण वर्क कॉन्ट्रेक्ट कार्य करने हेतु सहमत हूँ तथा रू. 500/- के स्टैम्प पर लिखित रूप में इकरारनामा करने को बाधित हूँ . मैंने निगम द्वारा दी गई सभी नियम एवं शर्तें पढ़ ली हैं एवं सभी नियम एवं शर्तें मुझे मान्य है.

दिनांक :.....

हिपिंग वर्क कॉन्ट्रेक्टर के सील एवं हस्ताक्षर

नाम.....

पिता का नाम.....

पत्राचार के लिए पूरा पता

.....

.....

भा.क.नि.
CCI

भारतीय कपास निगम लिमिटेड
शाखा कार्यालय : सिरसा

वर्ष 2019-20 के लिए कपास जॉब वर्क के लिए नियम व शर्तें ।

1. टेण्डर आवेदनकर्ता को **टेक्निकल बीड नं.–1** एवं **वित्तीय बीड नं.–2** अलग–अलग दो लिफाफे में डाले तथा लिफाफे के उपर **'' कपास जॉब वर्क हेतु बीड नं.–1 तथा कपास जॉब वर्क हेतु बीड नं.–2''** लिखे एवं दोनों लिफाफे को एक बड़े लिफाफे में डालकर लिफाफे के उपर **'' कपास जॉब वर्क – 2019-20''** तथा अपना पूरा पता एवं केन्द्र का नाम लिखकर शाखा कार्यालय में निर्धारित समय पर जमा करें.

2. आवेदनकर्ता के पास पी.एफ.कोड का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है तथा पी.एफ. कोड प्रमाण पत्र की छाया प्रति एवं EMD की डीडी बीड नं.–1 के साथ संलग्न करें । इसके साथ आवेदनकर्त्ता को PAN No. की फोटोप्रति भी संलग्न करना अनिवार्य है ।

3. पी.एफ. कोड प्रमाण पत्र/ PAN No. एवं डीडी तथा **बीड नं.–1** को संपूर्ण रूप से भरने वाले आवेदनकर्ता के ही **कपास जॉब वर्क हेतु निविदा बीड नं.–2** खोले जाएगें।

4. ठेकेदार को प्रतिमाह उनके द्वारा जमा कराये गये PF के चालान की प्रति निगम को भेजा जाना अनिवार्य है ,जिसमें लेबर की संख्या,नाम तथा उसकी राषि दर्षाई गई हो।

5. केवल वही टेण्डर विचाराधीन रखे जायेंगे जोकि निर्धारित फार्म में भरे जायेंगे । फार्म शाखा कार्यालय, सिरसा एवं निगम के वेबसाईट से प्राप्त किये जा सकते हैं । फार्म सभी प्रकार से सही भरे होने चाहिए ।

6. केवल वही टेण्डर विचाराधीन रखे जायेंगे जिनके साथ 20,000/– (बीस हजार रू)रूपये की धरोहर राशि (EMD) ब्याज रहित प्रतिकेन्द्र का राष्ट्रीयकृत बैंक का डी.डी. जोकि '' दि कॉटन कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड,सिरसा'' के नाम से हो एवं जो सिरसा पर देय हो, संलग्न होगा । धरोहर राशि (EMD) यदि किसी पार्टी का शाखा में जमा शेष है उसका उक्त EMD में समायोजन नहीं किया जाएगा । यदि टेण्डर फार्म के साथ EMD की राशि संलग्न नहीं है, उस टेण्डर फार्म को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निगम के पास होगा।

7. जिन ठेकेदारों के टेण्डर स्वीकार किये जायेंगे उन्हें निर्धारित प्रोफार्मा में रू. 500/– के स्टैंम्प पेपर पर इकरारनामा 10 दिन के अन्दर–अन्दर जमा करवाना होगा अन्यथा ठेके को रद्द समझा जायेगा एवं उसके द्वारा जमा की गई धरोहर राशि को भी जब्त कर लिया जाएगा।

   धरोहर राशि का भुगतान (Refund) कार्य संतोषजनक पूर्ण होने/फसल वर्ष की समाप्ति पर ब्याज रहित किया जाएगा।

8. कार्य की अवधि दिनांक 30.09.2020 तक रहेगी तथा कार्य को देखते हुये जब तक नया ठेकेदार कार्य पर नहीं आ जाता तब तक होगी।

9. कपास की अनलोडिंग की सूचना प्राप्त होने पर तुरंत दडा लगवाना होगा।

10. सभी ठेकेदारों से बिल भुगतान के समय लागू आयकर (टीडीएस (194C), सरचार्ज एवं अन्य कर) नियमानुसार काटा जायेगा.

11. अगर किसी ठेकेदार का कार्य संतोषजनक नहीं पाया जायेगा अर्थात निर्धारित स्वीकृत दरों पर किसी केन्द्र पर नियुक्त कॉन्ट्रेक्टर द्वारा कार्य नहीं किया जाता है तो निगम के पास यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि उसकी जगह उन्हीं दरों पर दूसरा ठेकेदार नियुक्त किया जा सकता है. यदि अन्य ठेकेदार भी केन्द्र के निर्धारित दरों पर कार्य करने को सहमत नहीं है तो केन्द्र स्तर पर टेण्डर की आवश्यक प्रक्रिया अपनाते हुए उस केन्द्र के लिए नई दर निर्धारित की जाएगी, ऐसी दशा में निगम द्वारा केन्द्र प्रभारी/दिशा प्रभारी के रिपोर्ट के आधार पर बिना किसी सुचना दिये कॉन्ट्रेक्टर से अंतर राशि की वसूली कर सकता है तथा जमा की गई अमानत/धरोहर/प्रतिभूति राशि एवं बिलों से कटौती की गई 10 प्रतिशत राशि को जप्त करने का अधिकार निगम के पास रहेगा. केन्द्र पर अन्य ठेकेदार निर्धारित दरों पर कार्य नहीं करता है तो ऐसी परिस्थिति में नये ठेकेदार की नियुक्ति एवं दरों के संदर्भ में निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए कार्यवाही की जाएगी।

12. ठेकेदार द्वारा समय पर काम न करने पर तथा उसकी जगह कोई दूसरे ठेकेदार अथवा केजुअल लेबर से काम लेने पर जो मजदूरी का अन्तर होगा व उस केन्द्र के स्वीकृत ठेकेदार से वसूल की जायेगी ।

13. ठेकेदार द्वारा मजदूरों की संख्या संलग्न सूची अनुसार तथा निगम की खरीद की मात्रा को देखते हुए रखी जाए ।

14. निगम का कार्य नीति के अनुसार समय–समय पर कम या अधिक होने पर कोई मुआवजा नहीं दिया जायेगा । उच्चतम/न्यूनतम मात्रा एवं कार्य की उपलब्धता के लिए निगम कोई गारंटी नहीं लेता है ।

15. ठेकेदार व उसके किसी मजदूर द्वारा निगम को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से हानि पहुँचाने पर ठेकेदार को हानि की क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी ।

16. ठेकेदार व उसके किसी मजदूर को काम के समय पर किसी भी तरह की क्षति एवं दुर्घटना होने पर निगम किसी भी प्रकार से जिम्मेवार नहीं होगा ।

17. ठेकेदार,निगम के किसी भी प्रकार के स्टॉक खासकर कपास, पल्लियाँ, तिरपाल,बारदाना इत्यादि को किसी प्रकार का नुकसान पहुँचाता है तो उसके लिए वह पूर्णतया जिम्मेवार होगा ।

18. ठेकेदार के बिलों का भुगतान शाखा कार्यालय में बिल प्राप्त होने के 15 दिन के पश्चात RTGS/NEFT उसके ही नाम पर दिया जायेगा ।

19. ठेकेदार मजदूरों की भर्ती राज्य/केन्द्र सरकार के फैक्ट्री अधिनियमों के अनुसार ही करेगा एवं इस काम पर लगाये गये मजदूरों का दायित्व पूर्णतः ठेकेदार पर होगा । ठेकेदार मजदूरों को उनके मजदूरी का भुगतान समय पर करना सुनिश्चित करेगा.

20. स्वीकृत ठेकेदारों को नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर इकरारनामा हस्ताक्षर करके देना होगा जिसका निश्चित/प्रमाणित प्रोफार्मा स्वीकृत पत्र के साथ दिया जायेगा ।

21. निगम के समस्त कार्यों के लिए ठेकेदार पर्याप्त मात्रा में मजदूर लगायेगा । किसी भी प्रकार का मतभेद होने पर ठेकेदार, केन्द्र प्रभारी का निर्णय मानने के लिए बाध्य होगा।

22. ठेकेदार आवश्यकता पड़ने पर अपने क्षेत्र निरीक्षक के समक्ष अपने नामांकन का लाईसेंस/दस्तावेज प्रस्तुत करेगा । श्रम ठेकेदार न्यूनतम मजदूरी एक्ट, मजदूर क्षतिपूति नियम एवं राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा सभी अधिनियमों के अनुपालन हेतु कानूनी दायित्व के लिए पूर्ण जिम्मेवार होगा । किसी भी प्रकार के नियमों की अवहेलना/उल्लंघन करने पर निगम को आवष्यक भुगतान करने व नुकसान की दशा में वह राशि ठेकेदार से वसूल करने का निगम को पूर्ण अधिकार होगा।

23. मजदूरों की बीमा वगैरा की पूर्ण जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी ।

24. निगम किसी भी टेण्डर को (आंशिक रूप से) स्वीकार/अस्वीकार या नेगोसिएशन करने या टेण्डर रद्द करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रखता है ।

घोषणा

मैं निगम द्वारा दी गई उपरोक्त सभी नियम एवं शर्तों को पढ़ एवं समझ लिया है एवं उपरोक्त नियम एवं शर्तों के अनुसार कार्य करने के लिए सहमत हूँ।

.....

वर्क कॉन्ट्रेक्टर का सील एवं हस्ताक्षर : ....

वर्क कॉन्ट्रेक्टर का नाम :

पत्राचार के लिए पूरा पता